



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062020-220113  
CG-DL-E-23062020-220113

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1790]  
No.1790]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/ आषाढ 2, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

का.आ. 2015(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग, "महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग", मुंबई (पैन AAAGM0004R) को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है:-

- क. महाराष्ट्र सरकार से अनुदान;
- ख. वार्षिक लाइसेंस के लिए शुल्क
- ग. सावधि जमा तथा बचत खाता पर ब्याज;
- घ. दायर किए गए आवेदन/दाखिल पिटीशन के लिए शुल्क;
- ङ. दस्तावेजों के लिए शुल्क;
- च. वार्षिक लाइसेंस शुल्क के विलंब से किए गए भुगतान के लिए अर्थदंड;
- छ. आईटीआई के लिए शुल्क;

- ज. स्कैप की बिक्री;
- झ. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज
- ञ. वार्षिक निष्पादन पुनरीक्षा के लिए शुल्क;
- ट. प्रशुल्क के निर्धारण के लिए शुल्क; तथा
- ठ. आरंभिक लाइसेंस के लिए शुल्क
2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई, -
- क. किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- ख. विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी; तथा
- ग. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
- घ. सनदी लेखाकार से इस प्रमाणपत्र के साथ कि उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं, सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 (2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना. सं. 34/2020/फा.सं. 300196/53/2019-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

**S.O. 2015(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Maharashtra Electricity Regulatory Commission', Mumbai (PAN AAAGM0004R), a commission established by the State Government of Maharashtra, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) Grants from Government of Maharashtra;
- (b) Fees for annual licence;
- (c) Interest on Fixed Deposit and Savings Account;
- (d) Fees for application/petition filed;
- (e) Fees for Documents;
- (f) Penalty for delayed payment of Annual Licence Fees;
- (g) Fees for RTI;
- (h) Sale of Scrap;
- (i) Interest on Loans and Advances given to employees;
- (j) Fees for annual performance review;
- (k) Fees for determination of tariff; and
- (l) Fees for initial licence.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Maharashtra Electricity Regulatory Commission, Mumbai,-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
  - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
  - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
  - (d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.
3. This notification shall apply with respect to the assessment years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 and 2025-2026.

[Notification. No. 34/2020/F.No.300196/53/2019-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director